सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1942 (श०)

संख्या- 310 राँची, सोमवार, 29 जून, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

(सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

26 जून, 2020

संख्या- परि०वि०(स०सु०)-179-- सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी (Supreme Court Committee on Road Safety) के द्वारा निर्धारित सड़क दुर्घटनाओं के मानकों में "दक्ष चालक" एक महत्वपूर्ण मानक है, जो नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित परिचालन करते हैं। वाहन चालन की दक्षता से सड़क दुर्घटनाएँ एवं उनसे होने वाली आम लोगों की सुरक्षा सीधे जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी हुई विधि व्यवस्था को दृष्टिपथ रखते हुए उनके चालन अवधि को निर्धारित करना आवश्यक है, जिससे उनकी दक्षता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो एवं सड़क दुर्घटनाओं तथा उससे होने वाली जान-माल की क्षति की आशंका को कम किया जा सके।

2. विभिन्न स्त्रोतों एवं संगठनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में संचालित परिवहन वाहनों के चालकों से, उनके लिए निर्धारित कार्यावधि से अधिक कार्य लिया जा रहा है। अधिक कार्य करने के कारण परिवहन वाहन के चालकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में तेजी से गुणात्मक ह्रास हो रहा है, जिससे उनके चालन दक्षता में कमी आ रही है।

3. मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-91 तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की धारा-13, 15 व 16 को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है:-

I. राज्य में परिचालित ऐसे परिवहन वाहनों जिनके लगातार परिचालन की अवधि प्रतिदिन 06 घंटे से अधिक हो उनमें 02 वाहन चालकों को रखना अनिवार्य होगा।

II. सामान्यतया वाहन चालकों से प्रतिदिन 08 घंटे एवं प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य लिया जायेगा। लम्बी दूरी अर्थात् 500 किलामीटर से अधिक की यात्रा में प्रतिदिन 10 घंटे एवं प्रति सप्ताह 54 घंटे तक उसे अधिकतम बढ़ाया जा सकेगा। इससे भिन्न परिस्थितियों में 02 वाहन चालक रखना अनिवार्य होगा।

III. वाहन चालकों को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद पुन: अपनी दूसरी ड्यूटी प्रारंभ करने के बीच में लगातार 09 घंटों का आराम अनिवार्य होगा। इससे भिन्न परिस्थितियों में 02 चालक रखना अनिवार्य होगा।

4. राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-72 (2) (xxiv), धारा-74 (2) (xiii), धारा-79 (2) (ix) एवं धारा-88 (12) के तहत राज्यान्तर्गत परिवहन वाहनों के लिए परमिट निर्गत करने के लिए सभी सक्षम प्राधिकार परमिट की अन्य शर्तों में उपर्युक्त शर्तों को भी शामिल करेंगे व इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

के० रवि कुमार
सचिव,
परिवहन विभाग।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 310 -- 50